भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5560

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

तेईसवां विधि आयोग

5560. श्री शशांक मणि :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करने और इसे समकालीन मांगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के 23वें विधि आयोग का गठन 2 सितंबर, 2024 के आदेश द्वारा किया गया है ।आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह समय की समुचित मांगों के प्रति उत्तरदायी हो और विशिष्टतया-

(i) विलम्ब को समाप्त करना, बकाया के शीघ्र निपटान करना और लागत में कमी करना, जिससे मामलों का शीघ्र तथा किफायती निपटान सुनिश्चित किया जा सके तथा इस मूलभूत सिद्धांत पर कोई प्रभाव न पड़े कि विनिश्चय न्यायसंगत तथा निष्पक्ष होना चाहिए;

(ii) प्रक्रियाओं और न्यायालय प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना तथा एकरूपता और समझने तथा कार्यान्वयन में आसानी के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के नियमों में सामंजस्य का सुझाव देना;

(iii) विलम्ब के लिए तकनीकी जटिलताओं और युक्तियों को कम और और समाप्त करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना ताकि यह अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iv) मामला प्रबंधन सुनवाई और मामला प्रवाह प्रबंधन के लिए ढांचे का कार्यान्वयन करना ,

सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए आज्ञापित किया गया है ।

****